'राइट-टू-हैल्थ' विधेयक के विरोध में मशाल जुलूस निकालेंगे निजी चिकित्सक

300 डॉक्टर्स का दल सीकर पहुंचा, जो कि अगले 7 दिन तक लोगों से मुलाकात कर 'राइट-टू- हैल्थ' विधेयक का नुकसान बताएंगे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । 'राइट-टू-हैल्थ' बिल को लेकर राज्य सरकार और निजी चिकित्सकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर न तो सरकार झुकने को तैयार है और न ही चिकित्सक। इसका नतीजा यह है कि पिछले 13 दिनों से राज्य के अधिकांश निजी अस्पतालों में हजारों मरीज उपचार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में कुछ रेजीडेंट डॉक्टर्स के काम पर वापस लौटने पर मरीजों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह व्यवस्था नाकाफी है।

- **सवाई मानसिंह अस्पताल और इससे संबद्ध अस्पतालों में शुक्रवार को 550 रेजीडेंट डॉक्टर्स ने सेवाएं दीं**
- **आंदोलनकारी डॉक्टर्स ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से मुलाकात करके 'राइट-टू-हैल्थ' बिल को लेकर आपत्तियां रखी, जिस पर डोटासरा ने अधिकारियों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही**

एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा का दावा है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और उससे संबद्ध हॉस्पिटलों में शुक्रवार को करीब 550 रेजीडेंट्स ने चिकित्सा व्यवस्था संभाली। साथ ही छोटे-बड़े 1 हजार से ज्यादा ऑपरेशन भी हुए है। जबकि गुरूवार को इन रेजीडेंट डॉक्टर्स की संख्या 365 थी, ऐसे में एक ही दिन में करीब 200 चिकित्सकों के काम पर वापस लौटने से थोड़ी राहत मिली है। उधर कोटा की डॉ. नीलम खंडेलवाल लगातार तीसरे दिन भी 'राइट-टू-हैल्थ' बिल के विरोध में आमरण अनशन पर बैठी रही।

प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी के सचिव डॉ. विजय कपूर का कहना है कि शुक्रवार को 300 से ज्यादा चिकित्सक जयपुर से सीकर के लिए रवाना हुए है। यह डॉक्टर्स मशाल जुलूस और जागरूकता रैली निकालकर लोगों को 'राइट-टू-हैल्थ' बिल की खामियां बतायेंगी। डॉ.कपूर ने बताया कि अगले 7 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनजागरण अभियान कर हम लोगों को इस बिल से होने वाले नुकसान की जानकारी देंगे। राज्य सरकार, टैक्स पेयर्स के पैसे से लाखों रुपये के विज्ञापन देकर जनता को गुमराह कर रही है। जनता को राहत देने के बजाय यह क़ानून उनकी परेशानियां बढ़एगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर देगा।

आंदोलनकारी चिकित्सकों ने शुक्रवार शाम को जयपुर में यूनाइटेड मेडिकोज रैली का आयोजन रखा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने जे.एल.एन. रोड पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया। यह पुलिस टीमें सवाई मानसिंह अस्पताल के पीछे बने रेजीडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल के बाहर तैनात की गई है। जिससे एकबारगी तो हड़कंप मच गया।

शुक्रवार सुबह आंदोलनरत डॉक्टर्स ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर्स ने 'राइट-टू-हैल्थ' बिल को लेकर डोटासरा के सामने आपत्तियां रखी। जिस पर डोटासरा ने अधिकारियों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही। ज्ञात रहे कि गुरुवार दोपहर में प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी के पदाधिकारियों ने बैठक कर मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। जिसके बाद डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचा था। जहां डॉक्टर्स की ओर से वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री तक डॉक्टर्स की मांग पहुंचाई। जिस पर सीएम ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को डॉक्टर्स की समस्या सुनने के लिए अधिकृत किया था।

प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी के सेक्रेटरी डॉ. विजय कपूर ने बताया कि प्रदेशभर में प्राइवेट हॉस्पिटल ने सरकारी स्कीम्स को बंद करने की लिखित सहमति दे दी है। ऐसे में 1 अप्रैल से राजस्थान के सभी के प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी स्कीम्स के मास डीएम्पेनेलमेंट की कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। कपूर ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी है। सरकार के दबाव में कुछ रेजिडेंट भले ही काम पर लौट गए हों, लेकिन अधिकांश ने अपनी हड़ताल को जारी रखा है। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर देती हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

जयपुर शहर एक ही रहना चाहिए : सचिन पायलट

ज़यपुर को एक जिला बनाए रखने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को ज्ञापन सौंपा।

जयपुर । प्यारो जयपुर अभियान से जुडे जयपुर के प्रबुद्धजनों ने आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं किशनपोल से विधायक अमीन कागजी से मुलाकात कर जयपुर शहर के दो हिस्से ना करने देने का ज्ञापन दिया। इस अभियान की अगुवाई कर रहे सुनील कोठारी व अभियान से जुडे कांग्रेस के नेता सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल व सुनील शर्मा ने सचिन पायलट को जयपुर के दो हिस्से कर दो नए जिले बनाए जाने की घोषणा से जयपुर पर पडने वाले प्रभाव की वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। सचिन पायलट ने इस बात पर सैद्धांतिक सहमति प्रकट की जयपुर शहर एक ही रहना चाहिए और इस विषय पर वो सरकार को जनता की भावनाओं का ध्यान में रखकर कोई निर्णय करने के लिए कहेंगे और इस आशय का एक पत्र सरकार को लिखेंगे ।

विधायक अमीन कागजी ने कहा की शहर से मेरा और मेरे परिवार का भी भावनात्मक लगाव है व जयपुर शहर के दो हिस्से ना हो इस बात से मैं भी सहमत हूँ और इस विषय पर बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय पर बात करेंगे।

प्रतिनिधि मंडल में सुनील कोठारी, ज्योति खंडेलवाल, सुरेश मिश्रा, सुनील शर्मा, शरद खण्डेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार जितेन्द्र सिंह शेखावत, पार्षद विमल अग्रवाल, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, जयपुर व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ललित सिंह सांचोरा, जयपुर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी, जयपुर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भंवरसिंह शेखावत, पार्षद स्वाति परनामी, विष्णु जायसवाल, महेंद्र यादव, महेश सैनी, महेंद्र लोहिया, अशोक भगत, धनंजय सिंह, देवेंद्र शर्मा, रघुवीर सिंह चौधरी, एड प्रकाश ठाकुरिया, रेशी शर्मा, शशिकांत जोशी, राजकुमार अजमेरा, गिरधारी लाल कुमावत, एड जुगल किशोर शर्मा, आनन्द सिंह राठौड, गोपाल अग्रवाल, भगवान दास वर्मा, महेंद्र सिंह पंवार, तरूण रावत, गोपाल कोठारी, एड तपेश अग्रवाल, भूषण शर्मा, सुनील चौधरी, राजेश वर्मा, नितेश शर्मा, दिलीप शर्मा, धनराज सोलंकी, राजीव शर्मा, मुकेश, हिमांशु रायसरिया, जितेन्द्र शर्मा, मनीष सोनी, योगेश वैष्णव, हर्षवीर सिंह भाटी, भुवनेश जैमिनी, पवन रावत, ओम प्रकाश कुमावत, राजेंद्र सिंह राजावत, हिमांशु रामसरिया, गुलाब सिंह, अशोक वर्मा, एड विष्णु खंडेलवाल, एड तुलिका सैनी, सतीश अग्रवाल, लाल चंद लखेरा, आनन्दी लाल, सौरभ शर्मा निम्न लोग शामिल थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी.जोशी से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने जयपुर स्थित निवास पर मुलाकात की। पूनियां ने सीपी जोशी का स्वागत-अभिनंदन किया और उन्हें श्रीमद्भगवद्गीता भेंट कर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी के नेतृत्व में भाजपा को प्रदेश में और अधिक मजबूती मिलेगी।

'ललित मोदी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ यूके की कोर्ट में जाने का निर्णय किया'

जयपुर, (का.प्र.)। राहुल गांधी ने जिन ललित मोदी को आधार बनाकर मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, जिस मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के दावे के तौर पर 2 साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता खोने तक पहुंच गई। अब उन ललित मोदी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ यूके की कोर्ट में जाने का निर्णय किया है। ललित मोदी के कोर्ट में जाने की बात तथा मुकदमें की धमकी पर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि केंद्र सरकार यह बताए कि क्या

- **दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि क्या ललित मोदी उनके एजेंट हैं**

ललित मोदी उनके एजेंट हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब ललित मोदी देश से भाग रहे थे और देश की तमाम एजेंसिया उनके पीछे थीं, तो क्या ये एजेंसियां गलत थीं। यह तो चोर मचाए शोर वाली कहावत हुई। एक आरोपित व्यक्ति जिसके खिलाफ देश की तमाम एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के मुकदमे किये हैं, क्या ऐसे व्यक्ति की बात भी अब देश में सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि ललित मोदी पर देश के करोड़ों रुपए ले जाने के गंभीर आरोप है।

हुड्डा ने कहा कि ललित मोदी को देश की जांच एजेंसियों ने भगोड़ा तक घोषित कर दिया है। उन्हें लेकर देश की सरकार जो यह कहती थी कि इनको वापस ले आएंगे, वो सरकार अब इस बात का जवाब दें कि कैसे ललित मोदी बाहर बैठकर इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं।

एक कैबिनेट मंत्री और दो विधायकों की सिफारिश से मिली भाजपा नेता को नियुक्ति

कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक गोपाल मीणा और लक्ष्मण मीणा ने भाजपा नेता के लिए लिखा मुख्यमंत्री को सिफारशी पत्र

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भाजपा नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने का मामला लगातार चल रहा है और यह विवाद थम नहीं रहा है। इसी विवाद में जब पिछले दिनों जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद पर भाजपा नेता की नियुक्ति को लेकर छानबीन की गई, तो पता चला कि इस भाजपा नेता की नियुक्ति के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और 2 विधायकों ने अपने लेटर हेड पर बाकायदा सिफारिश की थी। जिसके आधार पर इस भाजपा नेता को कांग्रेस सरकार ने नियुक्ति दी है। कैबिनेट मंत्री 2 विधायकों के पत्र सामने आने के बाद इस विवाद को और हवा लग गई है।

उल्लेखनीय है कि जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर द्वितीय के अध्यक्ष पद पर भाजपा एसटीमोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी ग्यारसी लाल मीणा की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई बताते हैं। वही जब इस नियुक्ति के बारे में संबंधित विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की गई, तो उन्होंने भी इस नियुक्ति के बारे में उन्हें जानकारी होने से स्पष्ट इनकार किया था। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस से लेकर हाईकमान तक बवाल मचा था और कांग्रेस कार्यकर्ताओ नें पार्टी आलाकमान तक भाजपा कार्यकर्ता की नियुक्ति की शिकायत की थी। भाजपा नेता की नियुक्ति होने और विवाद होने के बावजूद सरकार व पार्टी स्तर पर ना तो नियुक्ति रद्द की गयी और ना ही जिम्मेदारो का पता लगाकर उन

- **इसी आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने कर दी भाजपा नेता की राजनीतिक नियुक्ति**

पर कार्रवाई की गयी। इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता एडवोकेट बलराम जाखड़ ने इसकी शिकायत दिल्ली तक की। जाखड़ का कहना है कि इस प्रकार की नियुक्ति से कांग्रेस कार्यकर्ता हताश और निराश है और अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। जाखड़ ने बताया कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और भाजपाईयों और अफसरों की नियुक्ति का मामला कार्यकर्ता ने उठाया है। बलराम जाखड़ का कहना है कि सबसे ज्यादा निराशा और उपेक्षा तब होती है जब कांग्रेस के विधायक और मंत्री तक भाजपा वालो की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। इसी क्रम में जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुये भाजपा पदाधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेस के जमवारामगढ़ विधायक गोपाल मीणा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा ने की।

प्रभारी रंधावा को कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और 2 विधायकों के सिफारिश पत्रो की प्रति उपलब्ध करवाते हुये बलराम जाखड का कहना है कि उक्त तीनो व्यक्तियो ने जानबूझकर सिफारिश की, जिससे सरकार की किरकिरी हुई है। गौरतलब है कि ग्यारसी लाल मीणा भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी हैं और राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा की जनाक्रोश यात्रा में संयोजक के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भाजपा या अन्य पार्टियों के नेताओं की राजनीतिक नियुक्ति हुई हो। इससे पहले भी कई जिलों में मनोनीत पार्षद बनाए गए थे, उनमें कई जगह भाजपा नेताओं को पार्षद बनाया गया था। इसके बाद स्थानीय स्तर पर विरोध होने के बावजूद उन मनोनीत पार्षदों को हटाया नहीं गया था।

जयपुर बम ब्लास्ट मामले पर भाजपा ने बनाया चक्रव्यूह

जयपुर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार गहलोत सरकार तुष्टिकरण की राजनीति एक बड़ा मुद्दा होगा। पहले धार्मिक जुलूस पर रोक और पुजारियों की हत्या के मामले पर तुष्टीकरण का आरोप झेल रही गहलोत सरकार अब जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में भी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भाजपा ने इस पूरे मामले को मुद्दा बना कर अब गहलोत सरकार को आक्रामक रूप से घेरने की रणनीति बना ली है। यही वजह है कि बम ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों के साथ राजधानी जयपुर में छोटी चौपड़ पर 1 अप्रैल को दोपहर 1 बजे धरना देगी।

इतना ही नहीं 2 अप्रैल को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देश को संबोधित करेंगे। 4 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा।

सरकारी तंत्र की नाकामी से बम ब्लास्ट के आतंकी बरी हो जाते हैं : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 80 से ज्यादा निर्दोष लोगों ने जान गंवाई थी और 180 से ज्यादा परिवारों की खुशियां किसी न किसी रूप में गम में बदली थी। दुर्भाग्य है कि जयपुर को छलनी करने वाले अत्यंत संवेदनशील मामले में भी सरकार के स्तर पर व्यापक लापरवाही और अनियमितता इस कदर बरती गई कि अब आतंकी खुलेआम घूमेंगे। वहीं जिन परिवारों ने बम ब्लास्ट का दंश झेला है, उन्हें उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम राज्य के सरकारी तंत्र ने किया है।

राठौड़ ने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट के दोषी सैफुर, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व मोहम्मद सलमान को लोअर कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी राज्य के गृह व विधि विभाग, एटीएस और एएजी ने जो लापरवाही बरती वह चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी तंत्र की इसी घोर लापरवाही के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय को फांसी की सजा रोकने और उन्हें बरी करना पड़ा।

आतंकवाद भारत और इज़राइल दोनों के लिए चिंता का विषय : ओम बिरला

जयपुर, (का.सं.)। उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा अध्यक्ष के संयुक्त निमंत्रण पर, इज़राइल के नेसेट (संसद) के स्पीकर आमिर ओहाना के नेतृत्व में एक इजरायली संसदीय शिष्टमंडल 31 मार्च से 4 अप्रैल तक भारत का दौरा कर रहा है।

इज़राइल के नेसेट (संसद) के स्पीकर आमिर ओहाना द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने के बाद स्पीकर के रूप में उनकी यह पहली विदेश यात्रा है। आज शिष्टमंडल के सदस्यों ने संसद भवन में लोक सभा अध्यक्ष, ओम बिरला से मुलाकात की। बिरला ने भारत में शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इज़राइल और भारत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। बिरला ने यह भी कहा कि भारत और इज़राइल, दोनों की मजबूत लोकतांत्रिक विरासत रही है और साथी लोकतंत्र के रूप में दोनों देशों में कई समानताएं हैं, जिसमें विविध संस्कृतियों का सम्मान करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार काम करना शामिल है। बिरला ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और इजराइल के बीच संबंध और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

बिरला ने आतंकवाद के बढ़ते संकट के बारे में बात करते हुए कहा कि आतंकवाद भारत और इज़राइल, दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है। बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और इज़राइल जैसे लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और इज़राइल की साझी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नई दिशा देगी।

इस अवसर पर आमिर ओहाना ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। उन्होंने भारत में हो रही प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में असाधारण गति से आगे बढ़ रहा है। ओहाना ने आशा व्यक्त की कि भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे और दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटेंगे। इस अवसर पर दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाए जाने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। शिष्टमंडल के सदस्यों ने राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शुक्रवार को इज़राइल के नेसेट (संसद) के स्पीकर आमिर ओहाना के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की।

तीये की बैठक

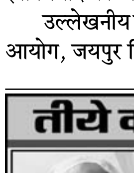

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी

श्रीमती शान्ति देवी

धर्मपत्नी स्व. श्री बल्लभ राम जी जाँगिड़ का स्वर्गवास 30.03.2023 को हो गया। तीये की बैठक शनिवार 01.04.2023 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक स्थान लकड़ा मण्डी वाटिका पर होगी।

शोकाकुल- रामपाल (देवर), रामअवतार, कन्हैयालाल, बाबूलाल, सूरज, विष्णु, कमलेश (पुत्र) एवं समस्त कासलीवाल परिवार (फतेहपुरा वाले)।

9660244060, 9462303841

नम्बर मिलाइए 9587884433

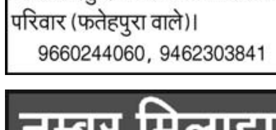

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

(18) लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान
राजस्थान वेटेरनरी यूनिवर्सिटी, बीकानेर से मान्यता प्राप्त
2 वर्षीय पशु चिकित्सा डिप्लोमा
12th कृषि अथवा जीव विज्ञान
एडमीशन मैनेजमेंट सीट
229(A), राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

खोया पाया

जविप्रा की आवासीय योजना लालचंदपुरा, जयपुर के भूखण्ड संख्या ए-68, का रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम, जेडीए द्वारा जारी समस्त मूल पट्टा, दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1. दिनांक 28.05.2007, 2. दिनांक 29.03.2008 उक्त समस्त मूल दस्तावेज कही गुम हो गए है। मिलने पर सूचित करें- ऊषा सिंह- 7597631764

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम महरीन रईस खान से बदलकर महरीन खान रख लिया है। भविष्य में मुझे महरीन खान के नाम से ही जाना जावें। म.नं. 54, फतेह नगर, हसनपुरा, जयपुर।

मैंने अपना नाम किश्वर आफरीदी से बदल कर किश्वर खान रख लिया है। भविष्य में मुझे किश्वर खान के नाम से ही जाना जावें। म.नं. 54, फतेह नगर, हसनपुरा, जयपुर।

मैंने अपना नाम नियति गुप्ता से परी गुप्ता पुत्री श्री सचिन गुप्ता रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये निवासी 1/323 विद्याधर नगर, खण्डेलवाल टॉवर के पास, जयपुर

I Poonam Devi Spouse Of No. 7782354A, Rank-Hav, Name Upendra Kumar, Presently Resideing At Lalganj Chowk Khelgon (Ranchi) Have Changed My Name From Poonam Devi To Poonam Kumari Vide Affidavit Dated 31st March, 2023, District Court Jaipur Rajasthan.

I have change by name from Jai Kishan Bachhani to new name Jaikishan Vachhani, Address: 297, Sindhi Colony, Banipark, Jaipur-302016 (Rajasthan)

I Sumakumari A.G.spouse of Army No 2569126A Ex TS NK P.S.D. Panicker R/o B-89 Shyam Colony Tonk Road Sanganer Tonk Road Jaipur. That I have changed my name from SUMAKUMARI (DOB 15/6/1957) is wrong entered in service record To SUMA A.G. (12/6/1957) Vide affidavit dated 29/3/2023 before district notary Jaipur.

I Nashiman W/o Army No. 02670221N Ex NK Munsi khan R/o Plot No. 90 Krishna Nagar Jhotwara Jaipur. That I have changed my name from NASHIMAN is wrong entered in service record To NASHIMAN BIBI vide affidavit dated 27 March 2023 before district notary Jaipur.

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे अभिभाष्यगण सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री टापूलाल शर्मा एवं श्रीमती इन्द्रा शर्मा पत्नि सुरेश कुमार शर्मा निवासीगण एबी-324, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर के है, के पुत्र रोहित कुमार शर्मा एवं उसकी पुत्रवधु श्रीमती छाया शर्मा जो कि मेरे अभिभाष्यगण के कहे में नहीं है, जो आये दिन मेरे अभिभाष्यगण से लड़ाई झगड़े पर आमादा रहते है। अतः मेरे अभिभाष्यगण उन्हें अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से व परिवार से बेदखल करते है तथा भविष्य में मेरे अभिभाष्यगण एवं उसने परिवार का उनके पुत्र एवं पुत्रवधू से किसी भी प्रकार का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति यदि उससे काई लेन देन या संव्यवहार करता है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सूचित रहे।
जयपुर (नरेश कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-31.3.23 मो.न. 9413334100,9829061868

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय **राजस्थान आवासन मण्डल** अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id : dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक : DHC-II/3371 दिनांक : 22-03-2023
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या- 70/216 ए, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 46.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री आरनोल्ड प्रे. राय पुत्र श्री जेम्स एच. राय को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1592 दिनांक 26.05.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 26.07.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 14.08.2000 के द्वारा श्री आरनोल्ड प्रे. राय पुत्र श्री जेम्स एच. राय के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 30.10.2000 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री अरनोल्ड प्रे. राय की मृत्यु दिनांक 12.12.2021 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती जोयस राय पत्नी स्व. श्री अरनोल्ड प्रे. राय ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक **श्रीमती जोयस राय पत्नी स्व. श्री अरनोल्ड प्रे. राय** के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबंधक- वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य सहीराम पुत्र बिहारी लाल यादव निवासी ढाणी जोधावाली तन-देवता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, राजस्थान मेरे अभिभाष्य के पुत्र अजय कुमार एवं उसकी पत्नी अनवत देवी व मेरे अभिभाष्य के स्वर्गीय पुत्र विजय कुमार की पत्नी सुनीता पोत्र सक्षम मेरे अभिभाष्य के कहे अनुसार नहीं चलते थे। हमेशा मेरे अभिभाष्य व मेरे अभिभाष्य की पत्नी के साथ गाली-गलोच व मारपीट करते हैं। इन लोगों ने मेरे अभिभाष्य व उसकी पत्नी का जीना दूभर कर रखा है। इसलिए मेरे अभिभाष्य ने अजय कुमार, पुत्रवधु अनवत देवी, पुत्र वधू सुनीता एवं पोत्र सक्षम को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र अजय कुमार व पुत्रवधू अनवत देवी एवं पुत्रवधू सुनीता एवं पोत्र सक्षम से पिता पुत्र व पुत्रवधू एवं पोत्र से संबंध खत्म कर लिया है। आज से मेरे अभिभाष्य व इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। अगर भविष्य में कोई इन से लेन-देन करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मेरे अभिभाष्य की किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
कृष्ण कुमार शर्मा, एडवोकेट

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांक:- DHC-II/3443 जाहिर आम सूचना दिनांक: 31/03/23
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 52/93, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 216.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री किशन लाल जुनेजा पुत्र श्री गोधाराम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29.06.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 25.01.1995 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3521 दिनांक 18.03.1998 के द्वारा श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 07.04.1998 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री कैलाश चन्द अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 02.08.2022 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती अन्जु अग्रवाल पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द अग्रवाल ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति / आवेदक श्रीमती अन्जु अग्रवाल पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/3446 दिनांक-31.03.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 4/186 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 324.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री बीरबल सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1179 दिनांक 30.04.1993 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14.09.1993 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्रीमती सुधा देवी की मृत्यु दिनांक 21.10.2013 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री बीरबल सिंह ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री बीरबल सिंह के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, जयपुर
राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा. मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
A Stat Government Enterprise Constituted under RHB Act 1970)
क्रमांक-आवा.अभि./खण्ड-13रा.आ.म./2022-23/1933
आम जाहिर सूचना दिनांक-29.03.2023
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 3/243, बनास विहार आवासीय योजना टोंक क्षेत्रफल 42.187 वर्गमीटर का आवंटन मूलतः श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 247 दिनांक 30.05.1997 जारी किया गया था। श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा का निधन दिनांक 05.12.2012 को हो गया है। श्रीमति सन्तोष देवी शर्मा पत्नि स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा मण्डल अभिलेख में आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज, प्रशासनिक शुल्क जमा चालान रसीद एवं वारिसान का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का स्थानान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 03 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदनकर्ता श्रीमति सन्तोष देवी शर्मा पत्नि स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, जयपुर

Form No. 3
[See Regulation-15(1)(a)]/16(3)]
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No.: OA/909/2022
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
Exh. No.: 7683
STATE BANK OF INDIA
VS
MR SANJAY KUMAR
To,
M/S SHIV SHAKTI REAL HOMES PVT LTD
501-503, DIAMOND TOWER, PURANI CHUNGI, AJMER ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN-302012
SUMMONS
WHEREAS, OA/909/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 20/01/2023.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 4037890/- (application along with copies of documents etc. annexed).
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;
(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.
You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 15/05/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 21/02/2023.
Signature of the Officer Authorised to issue summons
Note: Strike out whichever is not applicable.